पंजाब राज्य और अन्यअपीलार्थीगण

बनाम

जसबीर सिंह और अन्य....प्रतिवादीगण

(17 जुलाई, 2006)

(न्यायाधिपति अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति लोकेशवर सिंह पांटा)

सेवा कानूनः वेतनमान- संशोधन- स्थानांतरण के आधार पर शिक्षकों को व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया - व्याख्याता के वेतनमान हेतु दावा-पात्रता- आयोजितः सरकारी आदेश दिनांक 3.8.1990 के संदर्भ में हकदार नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को उनके अपने वर्तमान वेतनमान में स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त किया गया था और वे किसी भी मौद्रिक लाभ के हकदार नहीं हैं।

उत्तरदाता शिक्षक के रूप में कार्यरत थे । सरकार के आदेश के अनुसार, कुछ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाना था और स्थानांतरण के आधार पर, उनके वर्तमान वेतनमान में । प्रतिवादीगणों को तदनुसार तैनात किया गया था और स्थानांतरण पर उन्हें व्याख्याता के

रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने रिट याचिका दायर की जिसमें उन्होंने प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की तारीख से व्याख्याता के रूप में अवशोषित होने तक व्याख्याताओं के लिए लागू वेतनमान का दावा किया था, उच्च न्यायालय ने माना कि उत्तरदाताओं ने व्याख्याताओं के पद पर कर्तव्य का निर्वहन किया था और इसलिए, प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की तारीख से लेकर वास्तविक अवशोषण तक वे संशोधित वेतनमान के हकदार थे, राज्य ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. दिनांक 3.8.1990 को सरकारी आदेश में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति एवं स्थानांतरण के आधार परकी गई है, अपने स्वयं के वर्तमान वेतनमान में और वे किसी भी मौद्रिक लाभ, वरिष्ठता आदि के हकदार नहीं थे। स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि में पड़ गया कि उत्तरदाता व्याख्याताओं पर लागू वेतनमान के हकदार थे। [644-एफ, जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 2999/2006

(सिविल रिट याचिका संख्या 5857/1999, 3243,8774/2000 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 26.9.2002 के निर्णय और आदेश से।)

सरूप सिंह, ए ए जी ,पंजाब और अरुण कुमार सिन्हा अधिवक्ता ... अपीलार्थी के लिए

अंभोज कुमार सिन्हा अधिवक्ता ... प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति अरिजीत पासायत के द्वारा दिया गया था।

निर्णय

अनुमति दी गई।

इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि उत्तरदाता प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की तारीख से लेकर व्याख्याता के रूप में अवशोषण तक व्याख्याता को लागू पैमाने पर भुगतान करने के हकदार हैं।

निर्विवाद पृष्ठभूमि, अनिवार्य रूप से इस प्रकार हैंः

उत्तरदाता पंजाब शिक्षा विभाग में मास्टर के रूप में नामित शिक्षकों के रूप में काम कर रहे थे। सरकारी आदेश संख्या 22/7/90-शिक्षा.IV-3577-

78, दिनांक 20.07.90 के आधार पर कितपय अधिकारियों को उनके वर्तमान वेतनमान में प्रत्येक के सम्मुख अंकित पद घ के विरूद्ध प्रितिनियुक्ति एवं स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त किया गया। 9 व्यक्तियों को तदनुसार पदस्थापित किया गया और स्थानांतरण पर उन्हें व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया। सरकारी आदेश दिनांक 3.8.1990 का महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम इन्फ्रा का विज्ञापन करेंगे, उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वे व्याख्याता के रूप में वेतनमान के हकदार थे क्योंकि वे प्रतिनियुक्ति पर थे और व्याख्याता के रूप में अनुभव की गणना मूल विभाग में की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1989 के बाद की अविध के लिए वेतन के बकाया का दावा वेतनमान में अंतर के कारण है, जिसे विलंबित पाया गया और तदनुसार प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। यह देखा गया कि उत्तरदाताओं ने व्याख्याताओं के पद पर कर्तव्य का निर्वहन किया था और इसलिए, प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की तारीख से लेकर वास्तविक अवशोषण तक वे वेतन के संशोधित पैमाने के हकदार थे।

अपीलों के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दिनाक 3.8.1990 के आदेश ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि किसी भी प्रकार के मौद्रिक लाभ या अनुभव लाभ के लिए दावा उपलब्ध नहीं था, यह स्वीकार करते हुए कि दावे को उच्च न्यायालय को भेजने में देरी हुई थी, इसे कार्यवाही के दावे के जारी रहने के मामले के रूप में नहीं मानना चाहिए था दावा बहुत देर से किया गया था और इसलिए कोई राहत नहीं थी। दिनांकित 3.8.1990 के आदेश का प्रभाव उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया था। रिट याचिकाएं वर्ष, 1989 में दायर की गई थीं, जैसा कि उच्च न्यायालय ने ऊपर उल्लेख किया गया था, वेतन के बकाया के दावे को खारिज कर दिया और वर्तमान अपीलार्थियों को इसका लाभ देने का निर्देश दिया था प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमावली की तिथि तक। दूसरी ओर उत्तरदाताओं के लिए एक विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदाताओं को उनकी वैध पात्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं ने व्याख्याताओं के रूप में काम किया था और केवल इसलिए कि प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण के आधार पर दिनांकित 3.8.1990 आदेश में कुछ शर्त है जो समान काम के लिए समान वेतन के तर्क की अवहेलना नहीं कर सकती है।

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने यह समझाने की कोशिश की कि सत्य आदेश के वर्णनात्मक भाग का अर्थ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तरदाता कॉलेज में व्याख्याताओं की नौकरी कर रहे थे।

दिनांकित 3.8.1990 आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"(डी. आई. ई. टी. के संकाय) के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए भर्ती समिति की सिफारिशों पर और निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति और प्रत्येक के सामने उल्लखित पद के अनुसार अपने स्वयं के वर्तमान वेतनमान में हस्तांतरण के आधार पर नियुक्त किया जाता है। । वे किसी भी अन्य मौद्रिक लाभ, विरष्ठता, प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होंगे और किसी भी तरह से व्याख्याता के पद के लिए अनुभव लाभ का दावा नहीं करेंगे। ये आदेश दिनांक 20.07.90 के शासनादेश संख्या 22/7/90-शिक्षा-IV-3577-78 के अनुपालन में जारी किए जाते हैं।"

उपरोक्त रेखांकित कार्यवाही को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उत्तरदाताओं का दावा स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। ऊपर निकाले गए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि संबंधित अधिकारियों को उनके अपने वर्तमान वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर और स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त किया गया था और वे किसी भी मौद्रिक लाभ, विरष्ठता आदि के हकदार नहीं थे।

स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गंभीर त्रुटि की कि उत्तरदाता व्याख्यातों के लिए लागू वेतनमान के हकदार थे, इसलिए उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था।

डी जी।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा